न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
09/2018	FSS ACT2006	04.07.2018	20.12.2023

1. नरेश कुमार वेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. दीपक कुमार गर्ग पुत्र गिर्राज प्रसाद गर्ग(फर्म मालिक) मैसर्स दीपक ट्रेडर्स गुड गली,पुरानी अनाज मण्डी पोस्ट गंगापुर सिटी,ईदगाह मोड वार्ड नं0 3 गंगापुर सिटी।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20-12-2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार वेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 05.4.2016 को लगभग 03.45 पीएम पर मैसर्स दीपक ट्रेडर्स गुड गली, पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी पहुँचा वहा पर दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग गर्ग(फर्म मालिक) निवासी ईदगाह मोड वार्ड नं0 3 गंगापुर सिटी उपस्थित था, को मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया,तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ दालें, मसालें, तेल, घी, शक्कर आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। दुकान की रेक में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसाले) 500ग्राम पाली पैक क 26 पाली पैक विक्रय हेतु रख हुए थ, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसालें) 500 ग्राम पाली पैक का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं क्रय बिल बाद में प्रस्तुत करने का निवेदन करते हुए मौके पर नहीं होने बताया। तत्पश्चात मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म न0–5अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसाले) 500ग्राम पाली पैक के 4 पाली पैक के नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 360 रुपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसाले) 500ग्राम पाली पैक के 4 पाली पैक को प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर मेरे द्वारा 04 लेबल तैयार किये गय। जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी0ओ0 सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–885 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूने भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि

पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता दीपक कुमार गर्ग ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया। एक नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बंद नूमना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/1469 दिनांक 06.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एलएस1034/एक्ट/2016/1947 दिनांक 24.5.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसालें) 500 ग्राम पाली पैक मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत् मैसर्स दीपक ट्रेडर्स गंगापुर सिटी को फर्म मालिक/भागीदार/नोमिनी/खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल की प्रति एवं वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र हेतु पत्र लिखे गये जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

मैसर्स दीपक ट्रेडर्स गंगापुर सिटी का प्रत्युत्तर मैं मैसर्स दीपक ट्रेडर्स का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं क्रय बिल की छायाप्रति प्राप्त हुई। क्रय बिल की प्रति उक्त फर्म/फर्म मालिक के नाम से नहीं है। प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2016/1469 दिनांक 06.06.2016 की पालना में श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2623 दिनांक 06.10.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 एलएस1034/एक्ट/2016/1947 दिनांक 24.5.2016 के अनुसार विक्रेता व फर्म मालिक द्वारा मिसब्रान्ड खाद्य वस्तु पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसालें) 500 ग्राम पाली पैक मिसब्राण्ड (**Mis-Branded**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3 (1)(ZF))(C)(i) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी ने जबावदार के विरूद्ध उक्त प्रकरण आवेदक की नाजायज मांग की पूर्ति न करने के कारण गलत तरीके से बनाया है। आवेदक ने प्रार्थी जवाबदार को पुलिस का भय दिखाकर कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये। अभियुक्त एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है। अभियुक्त के पिता गुड गली पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी में गिर्राज प्रसाद दीपक कुमार के नाम से इसी दुकान पर काम करते थे। अभियुक्त के छोटी उम्र में पिता की मृत्यु हो गयी। परिवार में सबसे बडा पुरूष सदस्य होने के कारण परिवार का खर्चा चलाने के लिए उक्त दुकान पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया। फर्म गिर्राज प्रसाद दीपक कुमार का लाइसेन्स पिता के नाम था। जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया नया लाईसेन्स दिनांक 11.05.2015 को दीपक ट्रेर्डस के नाम से बनवाया इस तरह अभियुक्त की

फर्म दीपक ट्रेडर्स व फर्म गिर्राज प्रसाद दीपक कुमार एक ही फर्म है कोई अलग–अलग फर्म नही है उक्त तथ्य का स्पष्टीकरण अभियुक्त ने अपने जबाब दिनांक 08.08.2016 के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवा दिया था उक्त सैम्पल वाला मिर्च पाउडर अभियुक्त ने अग्रवाल एण्टरप्राईजेज राजस्थान बैंक के पास गंगापुर सिटी से खरीदा था जिसके बिल की स्वप्रमाणित प्रति भी जबाब के साथ भिजवाई थी। इस तरह उक्त सैम्पल वाला माल अग्रवाल एण्टरप्राईजेज से अभियुक्त के यहॉ जिस रूप में आया था उसी रूप में अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया है इसमें अभियुक्त का कोई दोष नही है। उक्त प्रकरण में अग्रवाल एण्टरप्राईजेज को पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही उक्त मिर्च पाउडर की निर्माता कम्पनी ओएसएफ मसाले को पक्षकार बनाया है ऐसे में उक्त आवेदन पत्र डिफेक्टिव होने से इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। अभियुक्त/प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करते है प्रार्थी द्वारा उक्त कार्य बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को ड्रॉप फरमाए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। अभियुक्त का यह कथन कि मेरे द्वारा बिल पेश किये जाने के बावजूद फर्म अग्रवाल एन्टरप्राईजेज को पार्टी नही बनाया गया है विधिक अनुसार सही नही है, क्योंकि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रवाल एण्टरप्राईजेज का खरीद बिल संख्या 2429 दिनांक 18.2.2016 फर्म· दीपक ट्रेडर्स के बजाय **गिर्राज प्रसाद** के नाम से है जिससे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का अग्रवाल एण्टरप्राईजेज को पक्षकार नही बनाया जाना विधि अनुसार उचित है।

(ग) पत्रावली मे संलग्न STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR(RAJASTHAN) कि रिपोर्ट क्रमांक LS 10034/ACT/2016/1947 दिनांक 24.05.2016 का भी अवलोकन किया गया जिसकी **Analysis Report के अनुसार sample is in a scaled and intact PET jar having original company packed polysaftey & Standards (Packaging and labelling) Regultations 2011 (Misbranded food)** की जांच करने पर मिर्च पाउडर का सेम्पल मिसब्रान्डेड पाया गया । उक्त रिपोर्ट की **Opinion Report** निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of "chili powder(OSF masale) Code No. H-885 of Desinganated officer cum the chif medical & health officer sawai madhopur is Misbranded food under saction 3(1)(ZF))(C)(i) AS PER FSS ACT 2006 RULE REGULATIONS 2011"

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसाले) का सेम्पल SERIAL NO. H-885 [MIS-BRANDED] पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा मिसब्रान्डेड (**Mis-Branded**) प्रकृति की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर (ओएसएफ मसाले) विक्रय करके आम जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ कृत्य करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.12.23

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी